



:: कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुरहानपुर (म.प्र.) ::

ISO 9001:2008 (Certificate No. QMS/DRS16/M1417)

फोन :- 07325-241000
फैक्स :- 07325-242043

E-Mail: dmburhanpur@nic.in
Website: www.burhanpur.nic.in

॥ आदेश ॥

क्रमांक/स्थापना/2020/ 3304

बुरहानपुर, दिनांक 06/05/2020

मेरे संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कुछ अधिकारी/कर्मचारी/आउट सोर्स कर्मचारी/संविदा कर्मचारी अपने विभागाध्यक्ष के निर्देशों का पालन नहीं करते हुए इयूटी पर आने से मना कर रहे हैं।

2/ उनका ये कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3, अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1968, आपदा प्रबंधन नियम, 2005, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत है जो अपराध की श्रेणी में माना जायेगा। ऐसे सभी अधिकारी कर्मचारियों के उपर आपराधिक प्रकरण दर्ज करते हुए पद से बर्खास्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

3/ अतः ऐसे सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने विभागाध्यक्ष के निर्देशों/आदेशों का पालन करते हुए तत्काल कार्यालय में आकर अत्यावश्यक सेवाओं के कार्य संपादित करें।

(प्रवीण सिंह)

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बुरहानपुर (म.प्र.)
बुरहानपुर, दिनांक 06/05/2020

पृ.क्रमांक-क/स्थापना/2020/ 3304

प्रतिलिपि :-

1. पुलिस अधीक्षक, बुरहानपुर
2. समस्त कार्यालय प्रमुख जिला - बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त अधिकारी/कर्मचारी/आउट सोर्स कर्मचारी/संविदा कर्मचारी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. सहायक संचालक, जनसंपर्क, बुरहानपुर की ओर समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बुरहानपुर (म.प्र.)